-1-

C. SP 151

न्यायालय माननीय बोर्ड आफ रेवेन्यू म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / नि0माल

R 373-II/2005

श्री .... द्वारा आज दि0 28/3/05 को प्रस्तुत।

अवर सचिव
राजस्व मण्डल म0 प्र0 ग्वालियर

28 MAR 2005

1:-राजकुमारसिंह उम्र 90 साल पुत्र मोतीसिंह

2:-अभिलाखसिंह आयु 62 साल पुत्र राजकुमारसिंह

3:-देवराजसिंह आयु 50 साल पुत्र राजकुमार सिंह

4:-गुड्डीसिंह उर्फ रामवलीसिंह उम्र 55 सालपुत्र राजकुमारसिंह

5:-कन्हयासिंह उम्र 73 साल पुत्र करौसिंह

6:-सूपासिंह उम्र 45 साल पुत्र कन्हयासिंह

7:-मानसिंह उम्र 48 साल पुत्र कन्हयासिंह

8:-मुरारीसिंह फौत वारिस

1-प्रमोदसिंह उम्र 35 साल पुत्र मुरारी सिंह साकिन नुन्हाटा मजरा धार पर कापुरा परगना व जिलाभिंड

-- आवेदकगण

बनाम

1:-कुअरबहादुरसिंह उम्र 65 सालपुत्र गनपति सिंह

2:-राजेन्द्रसिंह फौत वारिस -

1-श्र जयेन्द्रसिंह उम्र 50साल

2-कुअनपालसिंह उम्र 40 साल

3-रामलक्ष्मणसिंह उम्र 35 साल

4-रामगोविन्दसिंह उम्र 32 साल

पुत्रगण राजेन्द्रसिंह ....

निवासीग्राम नुन्हाटा मजरा चार घर का पुरा तहसील व जिला भिण्डम0प्र0

--अनावेदकगण

{प्र0क्र0301/94-95अ0माल न्यायालय कमिश्नर महोदय{ श्री एस0के0पाण्डेय साहब चम्बल संभाग मुरैना कैम्प भिण्ड द्वारा पारित किये गये आदेश दिनांक 23-12-2004 के विरूद्ध निगरानी

श्रीमान जी,

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैकि:-

1· विनम्र प्रार्थना हैकि ग्राम नुन्हाटा तहसीलभिण्ड का आराजी क्रमांक 904 जो बंदोबस्त केपूर्व का है इसका कुल रकबा करीब 35 बीघा 12 बिस्वा है इसके चार बंटतत्कालीन रेवेन्यू अधिकारियों के द्वारा कियेगये हैं जो क्रमश: इस प्रकार है कि-

{1{904/1 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा 10बिस्वांसी

{2{904/2

{3{904/3

{4{ 904/4 रकबा 1·097

तत्कालीन कागजातपटवारी में गोठा निस्तार की भूमि अंकित है।

2· यहकि, आराजी नं0 904/1 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा 10बिस्वांसी में से रकबा 1 बीघा 12 बिस्वा 10बिस्वांसी का बयनामा भूरीसिंह

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 373–एक/05 जिला – भिण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
15-11-16	यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 301/94–95/अपील में पारित आदेश दिनांक 23–12–2004 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा तहसील न्यायालय में इस आशय की शिकायत पेश की गई कि ग्राम नुन्हटा स्थित विवादित भूमि सर्वे नं. 904/4 रकबा 1.097 आरे कागजात पटवारी में मुताबिक गोंडा/निस्तार दर्ज है जिस पर आवेदकगण अतिक्रमण कर फसल कर रहे हैं । उक्त शिकायत पर से विचारण न्यायालय ने प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच की कार्यवाही प्रारंभ की एवं आदेश दिनांक 23–2–93 द्वारा प्रकरण खारिज किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की जो उन्होंने निरस्त की । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में द्वितीय अपील पेश की जिसमें अपर आयुक्त ने आलोच्य आदेश पारित किया है । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से उन्हीं तर्कों को दोहराया गया है जो उनके द्वारा निगरानी मेमो में उद्धरित किये गये हैं ।	

 निग - 373-/05 (निग०)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	4/ अनावेदकगण प्रकरण में एकपक्षीय हैं । 5/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से यह पाया जाता है कि यह प्रकरण शासकीय भूमि पर अतिक्रमण से संबंधित है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अधीनस्थ न्यायालयों ने तथा आवेदकों ने प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय भूमि होना व्यक्त किया है । व्यवहार न्यायालय द्वारा भी विवादित भूमि को ओपन मान्य किया है तथा प्रकरण में प्रस्तुत पटवारी एवं गिरदावल रिर्पोट के अनुसार भी प्रश्नाधीन शासकीय भूमि पर आवेदकों का अतिकृण सिद्ध है । दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस प्रकरण में विद्वान अपर आयुक्त ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करने में कि वे अतिक्रामकों को विवादित शासकीय भूमि से बेदखल कर उनके विरूद्व कार्यवाही करने के निर्देश देने में कोई न्यायिक एवं विधिक त्रुटि नहीं की गई है । विद्वान अपर आयुक्त का आदेश न्यायिक एवं विधिसम्मत है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश स्थिर रखा जाता है । पक्षकार सूचित हों । अभिलेख वापिस हो । सदस्य	